



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 829]

नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 19, 2018/कार्तिक 28, 1940

No. 829]

NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 19, 2018/KARTIKA 28, 1940

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 नवम्बर, 2018

सा.का.नि. 1129(अ).— केंद्र सरकार, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985(1985 का 61) की धारा 76 के साथ पठित धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा सा.का.नि. 837 (अ) दिनांक 14 नवम्बर, 1985 के द्वारा राजपत्र में प्रकाशित, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 में और आगे संशोधन किए जाने हेतु निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

(1) ये नियम स्वापक औषधि और मनः प्रभावी पदार्थ (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2018 कहलाएंगे।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. मनःप्रभावी पदार्थ नियमावली, 1985 में, नियम 10 में निम्नलिखित को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्: -

“10. लम्बरदारों को नामित करना.- ऐसे प्रत्येक ग्राम में जहां अफीम का उत्पादन किए जाने हेतु पोपी पोस्त लांसिंग के माध्यम से रस निकालने के लिए पोपी पोस्त की खेती का लाइसेंस जारी किया गया है। अफीम खेतीहरो में से एक या एक से अधिक व्यक्ति की जिला अधिकारी, लम्बरदार के रूप में नामित कर सकेगा जो ऐसे कृत्यों का और ऐसे निबन्धनों और शर्तों का पालन करेगा जो स्वापक आयुक्त समय समय पर विनिर्दिष्ट करें।”

[फा.सं. एन-11011/2/2018-एनसी-II]

टी.के.सतपथी, अवर सचिव

टिप्पणी: मुख्य नियम संख्या सा.का.नि. 837(अ), दिनांक 14 नवम्बर, 1985 के द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (i) में प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात संख्या का.आ. 786 (अ), दिनांक 26 अक्टूबर, 1992, का.आ. 599 (अ), दिनांक 10 अगस्त, 1993, सा.का.नि. 748 (अ), दिनांक 14 दिसम्बर, 1993, सा.का.नि. 543, दिनांक 24 अक्टूबर, 1994, सा.का.नि. 82, दिनांक 14 फरवरी, 1995, सा.का.नि. 556 (अ), दिनांक 14 जुलाई, 1995, सा.का.नि. 25 (अ), दिनांक 12 जनवरी, 1996, सा.का.नि. 509 (अ), दिनांक 4 नवम्बर, 1996, सा.का.नि. 350 (अ), दिनांक 25 जून, 1997, सा.का.नि. 214 (अ), दिनांक 19 मार्च, 2002, सा.का.नि. 763 (अ), दिनांक 14 नवम्बर, 2002, सा.का.नि. 115 (अ), दिनांक 21 फरवरी, 2003, सा.का.नि. 129 (अ), दिनांक 26 फरवरी, 2003, सा.का.नि. 217 (अ), दिनांक 17 मार्च, 2003, सा.का.नि. 95 (अ), दिनांक 4 फरवरी, 2004, सा.का.नि. 104 (अ), दिनांक 25 फरवरी, 2005, सा.का.नि. 736 (अ), दिनांक 22 दिसम्बर, 2005, सा.का.नि. 639 (अ), दिनांक 13 अक्टूबर, 2006, सा.का.नि. 2 (अ), दिनांक 1 जनवरी, 2008, का.आ. 1661 (अ), दिनांक 13 जुलाई, 2010, का.आ. 739 (अ), दिनांक 11 अप्रैल, 2011, सा.का.नि. 470(अ), दिनांक 21 जून, 2011, सा.का.नि. 905(अ), दिनांक 28 दिसम्बर, 2011, सा.का.नि. 426(अ), दिनांक 1 जुलाई, 2014, सा.का.नि. 74(अ), दिनांक 5 फरवरी, 2015, सा.का.नि. 224 (अ), दिनांक 25 मार्च, 2015, सा.का.नि. 359 (अ), दिनांक 5 मई, 2015 और सा.का.नि. 500 (अ), दिनांक 17 जून, 2015, सा.का.नि. 685 (अ), दिनांक 12 जुलाई, 2016, सा.का.नि. 61(अ), दिनांक 20 जनवरी, 2017, सा.का.नि. 428 (अ), दिनांक 2 मई, 2017 और सा.का.नि. 187 (अ) दिनांक 27 फरवरी, 2018 द्वारा संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th November, 2018

G.S.R. 1129(E).— In exercise of the powers conferred by section 9, read with section 76 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, namely: -

- (1) These rules may be called the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances (Second Amendment) Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Rules, 1985, for rule 10 the following rule shall be substituted namely: -

“10. Designating of Lambardar. - The District Opium Officer may designate one or more cultivators of opium poppy as Lambardar in each village, where licence has been issued for cultivation of opium poppy for the production of opium extracting juice by lancing the opium poppy, who shall perform such functions on the terms and conditions, as may be specified from time to time, by the Narcotics Commissioner.”

[F. No. N-11011/2/2018-NC. II]

T.K SATPATHY, Under Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R.837(E), dated the 14th November, 1985 and subsequently amended *vide* numbers S.O. 786 (E), dated the 26th October, 1992, S.O. 599 (E), dated the

10th August, 1993, G.S.R. 748 (E), dated the 14th December, 1993, G.S.R. 543, dated the 24th October, 1994, G.S.R. 82, dated the 14th February, 1995, G.S.R. 556 (E), dated the 14th July, 1995, G.S.R. 25 (E), dated the 12th January, 1996, G.S.R. 509 (E), dated the 4th November, 1996, G.S.R. 350 (E), dated the 25th June, 1997, G.S.R. 214 (E), dated the 19th March, 2002, G.S.R. 763 (E), dated the 14th November, 2002, G.S.R. 115 (E), dated the 21st February, 2003, G.S.R. 129 (E), dated the 26th February, 2003, G.S.R. 217 (E), dated the 17th March, 2003, G.S.R. 95 (E), dated the 4th February, 2004, G.S.R. 104 (E), dated the 25th February, 2005, G.S.R. 736 (E), dated the 22nd December, 2005, G.S.R. 639 (E), dated the 13th October, 2006, G.S.R. 2 (E), dated the 1st January, 2008, S.O. 1661 (E), dated the 13th July, 2010, S.O. 739 (E), dated the 11th April, 2011, G.S.R. 470(E), dated the 21st June, 2011, G.S.R. 905(E), dated the 28th December, 2011, G.S.R. 426(E), dated the 1st July, 2014, G.S.R. 74(E), dated the 5th February, 2015, G.S.R. 224 (E), dated the 25th March, 2015, G.S.R. 359 (E), dated the 5th May, 2015, G.S.R. 500 (E), dated the 17th June, 2015, G.S.R. 685 (E), dated the 12th July, 2016, G.S.R. 61(E), dated the 20th January, 2017, G.S.R. 428 (E), dated the 2nd May, 2017 and the last amended vide G.S.R. 187 (E) dated the 27th February, 2018.